संख्या: 24-एक(5)/[illegible](1)/2005-23-[illegible]/05

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन ।

डाक प्राप्ति संख्या 403/S.L.S.A/05
दिनांक 14.11.05

सेवा में,

सदस्य सचिव,
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
त्वरित न्यायालय परिसर, देहरादून ।

न्याय अनुभाग : देहरादून : दिनांक : 8 नवम्बर, 2005

विषय:- विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में एक-एक स्थायी लोक अदालत का गठन ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-124/SLSA/2005, दिनांक 19.7.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी(1) में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में एक-एक स्थायी लोक अदालत का गठन करते हुए प्रत्येक जिले हेतु अनुलग्नक में उल्लिखित 05 पद अर्थात कुल 10 अस्थायी संलग्न पदों को उसके नाम के सम्मुख अंकित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अथवा शासनादेश निर्गत किये जाने या नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो से 6 (छः) माह अथवा दिनांक 28.2.2006, जो भी पूर्व में हो तक, यदि ये बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिए जाए, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2. उक्त के साथ ही साथ प्रश्नगत पदों के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 की प्रथम अनुपूरक मांग से विधायी अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त आवर्तक एवं अनावर्तक मदों हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार रुपये 5,24,000/-(रुपये पांच लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि को व्यय हेतु आबंटन की भी महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मद का नाम	प्रति जिला धनराशि (हजार रुपये में)	कुल धनराशि (हजार रुपये में) (ऊधमसिंहनगर एवं देहरादून हेतु)
01-वेतन	1	2
02-मजदूरी	1	2
03-महंगाई भत्ता	1	2
04-यात्रा व्यय	1	2
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1	2
06-अन्य भत्ते	1	2
07-मानदेय	1	2
08-कार्यालय व्यय :-		
1. फर्नीचर	20	40
2. अलमारियां	20	40
3. प्रासंगिक व्यय	20	40
4. फोटो कॉपियर मशीन	100 (कुल 160)	200 (कुल 32[illegible])
09-विद्युत देय	1	2
10-जल कर/जल प्रभार	1	2
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1	2
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1	2
13-टेलीफोन पर व्यय	1	2
14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	1	2

Seen
17/11/05

		2
15-गाड़ियो का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	1	2
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	1	2
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामित्व	1	2
18-प्रकाशन	1	2
22-अतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1	2
25-लघु निर्माण कार्य	1	2
27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	1	2
29-अनुरक्षण	1	2
41-भोजन व्यय	1	2
42-अन्य व्यय	1	2
44-प्रशिक्षण व्यय	1	2
45-अवकाश यात्रा व्यय	75	150
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1	2
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	1	2
48-महंगाई वेतन		
कुल धनराशि	262	[illegible]

(रुपये पांच लाख चौबीस हजार मात्र)

3. स्वीकृत पदों के धारकों को उक्त पद के वेतन के अलावा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों द्वारा अनुमन्य महंगाई व अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे ।

4. पीठासीन अधिकारी के पदों को छोड़कर शेष सभी पूर्णकालिक पदों पर सम्बन्धित जिला न्यायालय से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी लिए जायेंगे ।

5. उक्त पदों के सृजन के फलस्वरूप तद्विषयक संवर्ग में अस्थायी अभिवृद्धि मानी जायेगी ।

6. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-800-अन्य व्यय-10-स्थायी लोक अदालत-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा ।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 28/वित्त अनुभाग-5/2005, दिनांक 31-10-2005 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(यू०सी० ध्यानी)
सचिव ।

संलग्नक: यथोक्त ।

संख्या: 24-एक(5)/छत्तीस(1)/2005-23-एक(5)/05-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून ।
2- महानिबन्धक, मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
4- जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून/ऊधमसिंहनगर ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/ऊधमसिंहनगर ।
6- वित्त अनुभाग-5/कार्मिक अनुभाग-1, उत्तरांचल शासन, देहरादून ।
7- एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)
अपर सचिव ।

शासनादेश संख्या : 24-एक(5)/छत्तीस(1)/2005-23-एक(5)/05,

दिनांक 8 नवम्बर, 2005 का अनुलग्नक

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी(1) के अनुसार जिला देहरादून व ऊधमसिंहनगर में एक-एक स्थायी लोक अदालत का गठन किये जाने हेतु पदों का सृजन :

क्र. सं.	पदनाम	जिलावार पदों संख्या	कुल पदों की संख्या (देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर)	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	पीठासीन अधिकारी	1	2	पदधारक की सेवाशर्तो के अनुसार
2	मुन्सरिम	1	2	4000-6000
3	आशुलिपिक	1	2	4000-6000
4	रीडर	1	2	4000-6000
5	अनुसेवक	1	2	2550-3200
	कुल पद	5	10	

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)

अपर सचिव ।